रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED NO. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 509] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 1980/कार्तिक 14, 1902
No. 509] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 1980/KARTIKA 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1980

का. आ. 879(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 की 65) की धारा 29-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 98(अ)/3-वि. वि. अ./29-ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) अनुसूची 5 में क्रम संख्यांक 9, 10, 11 और 12 की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(2) अनुसूची 5 में, प्रविष्टि 16 नलिकाकार बल्ली के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी ;

"17. इस्पात संरचनाएं"

"18. चादरी धातु संघटक" ।

2. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 29-ख की उप-धारा (2) के अनुसरण में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके अवसान के पश्चात् ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम का, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के प्रवर्तन से छूट प्राप्त थी, कोई स्वामी, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार के सिवाए, और राज्य सरकार की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार के सिवाए ऐसे उपक्रम का कारबार नहीं चलाएगा ।

[फा. सं. 11/1/80-एल. पी.]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Deptt. of Industrial Development)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th November, 1980

S.O. No. 879(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, namely :—

(1) The entries at Serial numbers 9, 10, 11 and 13 in Schedule V shall be deleted.

(2) The following entries shall be added to Schedule V after the entry '16 Tubular Poles' :

"17 Steel Structurals"

"18 Sheet Metal Components."

2. In pursuance of sub-section (2) of section 29B of the said Act, the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notification

as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking which was exempted from the operation of clause (d) of sub-section (1) of section 13 of the said Act shall carry on the business of such undertaking except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of State Government except under and in accordance with the previous permission of the Central Government.

[File No. 11/1/80-LP]

का. आ. 880(अ) :—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का आ. 98(अ)/3-वि. वि. अ./29-ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की मद 3 में, 'विदेशी मुद्रा सीमा' से सम्बद्ध खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) प्रस्तावित विनिधान को या तो (इस्पात और एल्यूमिनियम से भिन्न) कच्चे माल या (उत्पादन के तीन वर्ष पश्चात्) पुर्जों और संघटकों के आयात के लिए, वार्षिक उत्पादन के कारखाना बाह्य मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक या कच्चे माल, पुर्जों और संघटकों के लिए 40 लाख रुपये की परिसीमा तक, इनमें से जो भी कम हो, प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है :

परन्तु,

(1) ऐसी कच्ची सामग्री और संघटकों का मूल्य, जो मुक्त रूप से साधारण अनुज्ञप्ति पर उपलब्ध है, और किसी वस्तु के विनिर्माण के लिए आवश्यक निवेश के रूप में है, ऊपर विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा सीमा की संगणना करने में गणना में नहीं लिया जाएगा ;

(2) ऐसी कच्ची सामग्री की बाबत, जो मुक्त रूप से साधारण अनुज्ञप्ति पर उपलब्ध नहीं है किन्तु जो भागत: देश में उपलब्ध हैं और भागत: आयात की जाती हैं अनुसूची 6 में, उल्लिखित कच्ची सामग्री को अनुज्ञेय विदेशी मुद्रा की संगणना के प्रयोजन के लिए "पूर्णत: आयातित" माना जाएगा।"

[फा. सं. 12/112/79-एल. पी.]

बी. राय, संयुक्त सचिव

S.O. 880(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, namely :—

In the said notification, in item 3, for clause (c) relating to "Foreign Exchange Limits", the following clause shall be substituted namely :—

"(c) Proposed investment does not require foreign exchange per year either for the import of raw materials (other than steel and aluminium). or for parts and components (after three years of coming into production), exceeding 15 per cent of the ex-factory value of the annual production or upto a ceiling of Rs. 40 lakhs for raw materials and parts and components, whichever is less :

Provided that—

(i) the value of the raw materials and components which are on Open General Licence and which form an essential input for manufacture of articles shall NOT be taken into account in computing the foreign exchange limits specified above :

(ii) in respect of raw materials which are not on Open General Licence but which are partly available within the country and partly to be imported, the raw materials mentioned in Schedule VI may be treated as "wholly imported" for the purpose of computing the foreign exchange admissible.

[File No. 12/112/79-LP]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980